

परिशिष्ट - रुक

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2015

क्रमांक एम 6 1/2015/निगम/गार, भारत के अधिन के अनुच्छेद 309 के अन्वयेक द्वारा प्रदान शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश विहित सेवा (अवकाश) निगम, 1977 में निम्नलिखित और शर्तों पर कार्य करते हैं, अर्थात् .


शर्तियाँ

उक्त नियमों में:

1. नियम 38-ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :

"38-ग संतान धारण अवकाश-

 - (1) इस नियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवा की संतान प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित सतानी की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की मासावधि का संतान देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा ।
 - (2) अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा ।
 - (3) उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए संतान से अभिप्रेत है:-
 - (क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिवत रूप से दस्तावेज संतान को सम्मिलित करते हुए); या
 - (ख) सामाजिक न्याय तथा शरणागति सहायता विभाग, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एच ।।, दिनांक 1 जून 2001 में/या छिदिदिप कम से कम घालीस प्रतिशत नि:शक्तता वाले वर्गों से कम आयु की संतान ।
 - (4) उपनियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवा की संतान देखभाल अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्:
 - (क) यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। एक दिन के लिए उपरोक्त किया गया अवकाश दो एक बार के रूप में गिना जाएगा । यदि स्वीकृत किए गए अवकाश की मासावधि आगामी कैलेंडर वर्ष में भी जारी रखी जा सकेगी तो उस वर्ष की गणना एसे निकटवर्ती कर्मचारी


 अनुभाग अधिकारी
 वसु, संतान,
 (क-1)

वर्ष में की जाएगी जिसमें वि. अवकाश का आंकलन किया गया था अथवा जिसमें अद्यतन किए गए अवकाश का अंतिम भुगतान हुआ है। केवल वर्ष से अभिप्रेत है। जनवरी से सितम्बर (यदि 31 दिसम्बर तक की अवधि के लिए) यह सामान्य रूप से परिवर्षा कालावधि के दौरान ही भुगतान नहीं किया जाएगा तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवर्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवर्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की इस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

- (5) सततन देखागत अवकाश की कालावधि के दौरान महिला शासकिय सेवक को, अवकाश वाले मास के एक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- (6) सततन देखागत अवकाश, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (7) इस अवकाश का खर्च मुख्य में आहरित किया जाएगा तथा, संबंधित महिला शासकिय सेवक की सेवा पूर्ववर्ती में काली प्रीविलिज की जाएगी।

2. यह संशोधन मध्यप्रदेश राज्यपाल से इसी संशोधन की तैयारी के लिए किया गया है।

अनुभाग-
मध्य
स्कूल शिक्षा
मंत्रालय, भोपाल

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(Signature)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग